भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2510

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती

2510. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज में मेडिको-लीगल मामलों के लिए केवल आपातकालीन उपचार के लिए डॉक्टर (ईएमओ), मैडिसिन में एक बुजुर्ग डॉक्टर और रेडियोलॉजी विभाग में कोई संकाय नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और उपकरणों के उन्नयन का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रतापगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज में तत्काल स्टाफ भर्ती के लिए सरकार के पास कोई विशेष स्वास्थ्य पैकेज लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग में एमबीबीएस छात्रों के लिए कोई संकाय नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के पास प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचा विकास हेतु कोई विशेष पैकेज लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रतापगढ़ स्थित स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ने डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और मेडिको-लीगल कार्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित

करने के लिए संबंधित नैदानिक विभागों में नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु एक रोस्टर तैयार किया है। मेडिसिन विभाग में दो (02) विशेषज्ञ और रेडियोलॉजी विभाग में एक डीएनबी विशेषज्ञ रोगी उपचार के साथ-साथ एमबीबीएस छात्रों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उपकरणों के उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्लिट लैंप और सी-आर्म सहित विभिन्न उपकरणों की खरीद हेतु 30.00 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और संविदा आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों/चिकित्सा शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए पारिश्रमिक में वृद्धि की है।

(घ) और (ङ) मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल (एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन) फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में एमबीबीएस छात्रों के प्रशिक्षण में सहायता कर रहे हैं और कॉलेज ने फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के परिसर में एक नर्सिंग कॉलेज, शव परीक्षण केंद्र और 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है।
